<u>**न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज**</u>
<u>**स्वत्व वाद सं0–192/2015**</u>
<u>**CIS NO. TS-114/2019**</u>

सुरेश साह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

दिलिप कुमार एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.11.2023	उभय पक्षो की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 09.07.2020 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–06 प्रयाग साह की मृत्यु दिनांक 29.02.2020 को हो चुकी है तथा मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में अपनी विधवा किशोरी देवी तथा दो पुत्र नथुनी साह एवं राजू साह को छोडकर मरे है। मृतक के स्थान पर वारिसानों का प्रतिस्थापन करना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि कोरोना काल होने के कारण समय से प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल नहीं हो सका है। अतः आवेदन दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हुये प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–06 प्रयाग साह की मृत्यु हो चुकी है तथा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। अतः न्यायहित में वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 09.07.2020	

<u>**न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज**</u>

<u>**स्वत्व वाद सं0–192/2015**</u>

<u>**CIS NO. TS-114/2019**</u>

सुरेश साह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

दिलिप कुमार एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 07.11.2023	स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक प्रतिवादी सं0–06 प्रयाग साह के स्थान पर मृतक के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादीगण प्रतिस्थापन पश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। दिनांक 19.12.2023 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	